

234

22

न्यायालय श्री माने राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश स्व. लियर ४०५००

358

740
31.12.13



Rs-20/-

श्री. वि. म. म. न. स. सि. ए. द्वारा आज दिनांक 31-12-13 के संस्तुत किया गया।

R-634-1114

सिडर
सर्किट कोर्ट रोवा

दददन प्रसाद तनय गोविन्द प्रसाद मिश्रा उम्र 74 वर्ष पेशा खेती

निवासी ग्राम दादर तहसील मझौली उपतहसील मडवास जिला सीधी

४०५००

आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. धर्मदास गुप्ता तनय जितानी गुप्ता उम्र 28 वर्ष पेशा खेती

निवासी ग्राम दादर तहसील मझौली उपतहसील मडवास जिला

सीधी ४०५००

2. ४०५०० शासन

आवेदकगण

निगरानी याचिका विरुद्ध कार्यवाही एवं आदेश न्यायालय श्री मान् तहसीलदार महोदय उपतहसील मडवास तहसील मझौली जिला सीधी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 48/अ/12/12-13 में पारित आदेश दिनांक 16-7-13 जिसके द्वारा नितान्त औद्धानिक तरीके से सीमांकन की कार्यवाही की पुष्टि की गयी है।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 50 ४०५०० के राजस्व संहिता 1959,

मान्यवर,

आवेदक की ओर से निम्न आधारों पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत है :-

1. यह कि कार्यवाही एवं आदेश अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय उपतहसील मडवास तहसील मझौली जिला सीधी विधि प्रक्रिया

740
30-12-13

234

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R.634-114 जिला सीधी

ददन पुसाद मिश्रा विरुद्ध यमदास गुप्ता

1	2	3
17-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री <u>के.डी.सिंह</u> अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार/ नायब तहसीलदार तहसील <u>अहवाल</u> के प्रकरण क्रमांक <u>48/2.12.12.13</u> में पारित आदेश दिनांक <u>16.7.13</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर <u>सीधी</u> के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक <u>29-3-19</u> को कलेक्टर <u>सीधी</u> के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p>	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
सदस्य

य
०

[Handwritten signature]
30-12-13

महोदय उपतहसील मन्दास तहसील मन्डौली जिला सीधी विधि प्रक्रिया